मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014
ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in
दूरभाष–0612–2215035

संचिका सं०:–ल०ज०सं०(पी०एम०जी०)–डिवार/13/140/2024– 49 /पटना, दिनांक:– 31/10/2025

आदेश

संवेदक श्री नरोत्तम कुमार (निबंधन सं0–MWRD0924C2IN5029 श्रेणी–02), ग्राम– बराह, पो0–भुआपुर, थाना– बेलछी, जिला–पटना, पिन कोड–803211 के विरूद्ध यंत्र–संयंत्र का जाली कागजात लगाकर निविदा प्राप्त करने संबंधी श्री युवराज सिंह, ग्राम+पो0–मोरा तालाब, जिला–नालंदा द्वारा दिये गये परिवाद के क्रम में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा द्वारा जॉच कराये जाने पर यह पाया गया कि संवेदक श्री नरोत्तम कुमार द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2021–22 के ग्रुप सं0–02 केशोपुर आहर पईन योजना के जीर्णोद्धार कार्य की निविदा में संलग्न किया गया यंत्र–संयंत्र का कागजात फर्जी है, जिसके आलोक में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–1450 दिनांक–25.04.2025 द्वारा संवेदक श्री नरोत्तम कुमार को कालीकृत करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11 (ख) में निहित प्रावधान के तहत इस कार्यालय के पत्रांक–428 दिनांक–13.05.2025 द्वारा संवेदक श्री नरोत्तम कुमार से कारण पृच्छा की गयी, जिसके क्रम में संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण का जबाव दिनांक–27.05.2025 में संलग्न किये गये फर्जी यंत्र–संयंत्र के कागजात के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, साथ ही अनुरोध किया गया कि "श्रीमान कोई भी एक तिथि निर्धारित कर मुझे सूचित करवा दें ताकि मैं सभी साक्ष्य एवं दस्तावेजों के साथ श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी सारी बातें रख सकूँ"। संवेदक द्वारा किये गये अनुरोध पर इस कार्यालय के पत्रांक–485 दिनांक–02.06.2025 द्वारा दिनांक–10.06.2025 को अपराहन् 2:00 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने एवं स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध कराने हेतु संवेदक को निदेशित किया परन्तु संवेदक उक्त तिथि को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये, पुनः पत्रांक–553 दिनांक–24.06.2025 द्वारा दिनांक–30.06.2025 को अपराहन् 2:00 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर वस्तुस्थित स्पष्ट करने एवं कारण पृच्छा का जबाव उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जिसके अनुपालन में संवेदक नरोत्तम कुमार द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा का जबाव दिनांक–30.06.2025 को उपलब्ध कराया गया। संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण के जबाव में उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार प्रतिवेदन, मंतव्य एवं संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना से किये गये अनुरोध के क्रम में उनके पत्रांक–2656 दिनांक–01.08.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि निविदा में संलग्न अभिलेखों की जॉच विभागीय पत्रांक–1450 (मो0) दिनांक–17.10.2023 द्वारा अन्तप्रेक्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से कराया गया है, तथा जॉच के क्रम में पाया गया है कि संवेदक द्वारा निविदा में संलग्न किया गया मिक्सचर मशीन का विपत्र पूर्णतः फर्जी है। स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा रखे गये पक्ष को मान्य नहीं किया जा सकता। निविदा में फर्जी कागजात संलग्न किया जाना आपराधिक कृत्य के साथ–साथ निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–02/2021–22 के ग्रुप संख्या–02 की कंडिका–22 में निहित शर्त का उल्लंधन भी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित योजना की निविदा में फर्जी यंत्र–संयंत्र (मिक्सचर मशीन) का कागजात संलग्न करने के कारण संवेदक श्री नरोत्तम कुमार (निबंधन सं0–MWRD0924C2IN5029 श्रेणी–02), ग्राम– बराह, पो0–भुआपुर, थाना– बेलछी, जिला–पटना, पिन कोड– 803211 को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (vii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 की कंडिका 08 के उप कंडिका 04 के तहत अगले 10 वर्षो के लिये कालीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

S. M.

पत्रांक—   /पटना दिनांक—

प्रतिलिपि— श्री नरोत्तम कुमार, पिता—श्री कौशलेन्द्र सिंह, ग्राम— बराह, पो0—भुआपुर, थाना— बेलछी, जिला—पटना, पिन कोड— 803211, Mobile No-6204115655 ईमेल—snaratam32 @gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक— 1105 /पटना, दिनांक— 31/10/2025

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, .../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, .../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, ...एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

31/10/25

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना